विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2022/359 दिनांक :-26/12/23

प्रति,

प्राचार्य,
इन्द्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ लॉ,
ग्राम अमरपुरा, भोपाल रोड़, देवास

विषय :- सत्र 2024-25 हेतु महाविद्यालय द्वारा आवेदित नवीन पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता के संबंध में।

संदर्भ :- (1)महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन क्रमांक/VU2312230003 Date 23.12.2023
(2) आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का अनमुति पत्र क्रमांक/1093/आउशि/सम्बद्धता/2023, भोपाल,दिनांक 05.12.2023

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत, सत्र 2024-25 में महाविद्यालय द्वारा आवेदित नवीन पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पर एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 23.12.2023 तथा विद्यापरिषद् की स्थाई समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार महाविद्यालय को सत्र 2024-25 में निम्नानुसार पाठ्यक्रम की नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	एल.एल.बी.(त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) - प्रथम वर्ष	बी.सी.आई. के नियमानुसार
02.	बी.ए.एल.एल.बी.(ऑनर्स)(पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) - प्रथम वर्ष	बी.सी.आई. के नियमानुसार

शर्ते :-

01. बी.सी.आई. के मापदण्डानुसार परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य/शिक्षकों एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति शीघ्र की जाये।
02. बी.सी.आई. के नियमानुसार पृथक भवन, मूट कोर्ट, पुस्तकालय, इत्यादि की व्यवस्था शीघ्र की जावे।
03. परिनियम क्रमांक 27 के अनुसार एडोमेंट फण्ड इस अस्थाई सम्बद्धता पत्र प्राप्ति के 07 दिवस में (प्राचार्य, महाविद्यालय एवं कुलसचिव,विक्रम विश्यवविद्यालय,उज्जैन) के सामुहिक नाम से एफ.डी.के रूप में जमा की जावे।
04. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
05. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं कार्य विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
06. संबंधित नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं आयुक्त मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों को अधिकतम तीन माह की समयावधि में पूर्ण करना होगा अन्यथा यह अस्थाई सम्बद्धता निरस्त मानी जावेगी।
07. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख की होगी।
08. बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की मान्यता के पश्चात ही महाविद्यालय प्रवेश संबंधी कार्यवाही करें, अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

महाविद्यालय इस अस्थाई सम्बद्धता पत्र प्राप्ति के 02 माह के भीतर बी.सी.आई. से मान्यता पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

शेष शर्ते परिनियम क्रमांक 27 एवं 28 के अनुसार यथावत रहेगी एवं महाविद्यालय विश्वविद्यालय एवं शासन के पश्चातवर्ती आदेश/निर्देश का पालन करने हेतु बाध्य होगा।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव (अकादमिक)

255 F/New Fold /Affi college/Dewas/Affili Latt

निरंतर...02

Scanned with CamScanner

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2023/360 दिनांक :26/12/23

प्रतिलिपि :- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

01. सचिव, सांई सोहम शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति, ग्राम अमरपुरा,भोपाल रोड़,देवास।
02. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय सतपुड़ा भवन,भोपाल।
03. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली।
04. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल।
05. उप/सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
06. प्रभारी, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
07. प्रभारी वेबसाईट, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
08. माननीय कुलपतिजी कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

Scanned with CamScanner